

कार्यालय डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट, होमगार्ड – जिला विदिशा

सूचना अधिकार अधिनियम –2005

1- संरचनाए क्रियाकलाप, दायित्व –

4 b (i) मध्य प्रदेश में होमगार्डस् की स्थापना वर्ष 1947 में मध्यप्रान्त एवं बरार होमगार्डस् अधिनियम 1947 के तहत हुई थी । केन्द्र द्वारा वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम को लागू करने के उपरान्त नागरिक सुरक्षा को होमगार्डस् के अंतर्गत लाया गया एवं तभी से इसे होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा विभाग कहा गया है ।

विहगावलोकन करते हुये नगर सेना संगठन अस्तित्व में आने के पश्चात राज्य की जनता सेवा निष्काम भावना से कर रहा है । इसके अतिरिक्त समय-समय प्राकृतिक आपदा एवं अन्य विशेष परिस्थितियों में पुलिस के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर शांति एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिये अपने दायित्वों का निर्वहन करते है ।

होमगार्डस् एक्ट 1947 की धारा 7 (मूल पठित) एवं तदुपरान्त महानिर्देशक, नागरिक सुरक्षा (होमगार्ड) केन्द्रीय गृह मंत्रालय,भारत शासन के परिपत्र VI-14021/15/79. DGCD(HG) दिनांक 11-07-79 में होमगार्डस् के संशोधित कार्यों को रेखांकित किया गया है ।

संरचनात्मक गठन – जिला विदिशा के बल का संरचनात्मक गठन विदिशा जिले में बल को नियंत्रण व पर्यवेक्षण हेतु अधिकारियों, कर्मचारियों नियमित स्टाफ निम्नानुसार स्वीकृत है ।

1- डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट	01
2- कम्पनी कमाण्डर	01
3- प्लाटून कमाण्डर	02
4- सहायक उप निरीक्षक	01
5- हवलदार अनुदेशक	01
6- हवलदार स्टोरमैन	01
7- आरक्षक	01
8- वाहन चालक	02
9- मुख्य लिपिक	01
10- लेखापाल	01
11 निम्न श्रेणी लिपिक	02
12- भृत्य	01
13- फालोवर्स	01
14- कुक	01
15- स्वीपर	01

जिला विदिशा 02 कम्पनी का जिला है, जिसमें स्वयंसेवियों कीस्वीकृत संख्या 325 है,

4b(II) अधिकारी / कर्मचारी के कर्तव्य

अधिकारी / कर्मचारी के कर्तव्य स्वीकृत सेटअप के अनुसार अधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्यों का शासन एवं मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दिये आदेशों/निर्देशों के अनुसार निर्धारण है ।

4b (III)

निर्णय विधि मुख्यालय एवं सम्भागीय स्तर पर लिया जाता है ।

4b(iV)

कार्य निष्पादन हेतु स्थापित मानक शासन द्वारा स्वीकृत पद – संरचना (सेटअप) के अनुसार ही कार्य विभाजन एवं जबाबदारी निर्धारित है । तदनुसार नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण किया जाता है, जिसकी संक्षेप में जानकारी निम्नानुसार है ।

डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेन्ट

- 1- जिला का सकरात्मक वार्षिक कार्यालय निरीक्षण करना एवं मागदर्शन करना ।
- 2- अधिकारी/कर्मचारियों के कार्यों का मूल्यांकन करना ।
- 3- जिला के बल पर नियंत्रण, पर्यवेक्षण रखना ।
- 4- बल का मॉग अनुसार डिप्लायमेन्ट करना ।
- 5- अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों के कल्याणकारी कार्यों को प्रोत्साहन देना ।
- 6- स्वयंसेवकों का रिफ्रेशर का प्रशिक्षण सुचारू रूप से संचालित करना ।
- 7- जिला के अधिकारी / कर्मचारियों के स्वत्वों का निराकरण करना ।
- 8- प्राप्त बजट पर नियंत्रण एवं नियमानुसार आहरण कर भुगतान करना ।

4b(v)

प्रचलित नियम, विधि निर्देश, मैनुअल, अभिलेख

- 1- कम्पेडियम आफ इन्स्ट्रक्शन एवं सिविल डिफेन्स भारत शासन (समय-समय पर संशोधित)
- 2- सी0पी0एण्ड बरार नगर सेना अधिनियम 1947
- 3- म0प्र0 सिविल (असाधारण पेंशन) नियम 1963
- 4- म0प्र0 नगर सेना राजपत्रित सेवा भर्ती नियम 1991
- 5- म0प्र0 नगर सेना तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2000
- 4- म0प्र0 नगर सेना तृतीय श्रेणी (तकनिकी) सेवा भर्ती नियम 1997
- 5- म0प्र0 नगर सेना तृतीय श्रेणी (लिपकीय) सेवा भर्ती नियम 1996
- 6- म0प्र0 नगर सेना चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1993
- 7- सी0पी0 एण्ड बरार नगर सेना अधिनियम 1947 के पश्चात् नगर सेना (होमगार्डस्) का कोई मैनुअल नहीं बना है ।

4b(vi)

उपलब्ध विभागीय वर्गीकृत दस्तावेजों के अन्तर्गत स्थापना शाखा ,वित्त शाखा ,प्रशिक्षण शाखा,भण्डार शाखा एवं अन्य शाखाओं में शासन एवं मुख्यालय द्वारा समय-समय पर दिये आदेशों/निर्देशों के अनुसार पंजीयों / अभिलेखों का संधारण ।

4b(vii)

नीति निर्धारण में आम भागीदारी – निरंक

4b(viii)

मण्डल परिषद कमेटी में आम भागीदारी – निरंक

4b(ix)

अधिकारी व कर्मचारियों की निर्देशिका

क्रमॉक	नाम	पद	मोवाईल
01	श्री सुनीत कुमार मिश्र	डिस्ट्रिक्ट कमाण्डेंट	8349750470
02	श्री उमेश कुमार तिवारी	कम्पनी कमांडर	9425472451
03	श्री नंद किशोर सक्सेना	मुख्य लिपिक	9752084771
04	श्री अनंतराम आम्रवंशी	ए0एस0आई (एम)	9981447921
05	श्री लक्ष्मी नारायण विश्वकर्मा	ए0एस0आई	9993060864
06	श्री रंजीत सिंह हरसाना	हवलदार अनुदेशक	9893721224
07	श्री विजय कुमार तिवारी	वाहन चालक	9827566076
08	श्री विकास शर्मा	आरक्षक	8085106266
09	श्री कैलाश नारायण मालवीय	लाश्कर	9685444266
10	श्री गोविन्द वालमीक	सफाई कर्मचारी	8109821183

4b(x)

अधिकारी/ कर्मचारियों को प्रदत्त मासिक परिलब्धियां – नियमित शासकीय सेवकों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान अनुसार ।

स्वयंसेवी सैनिकों को वर्तमान में मानवेतन—218/— प्रतिदिन एवं भोजन राशि रू0 145/— प्रतिदिन एवं नाई धोबी राशि रूपये 40/— प्रतिमाह की दर से कालआउट ड्यूटी में रहने पर दी जाती है ।

4b(xi)

प्रत्येक सम्बद्ध अभिकरण को आवंटित बजट शासन द्वारा मुख्यालय को बजट प्रदाय किया जाता है और विभाग द्वारा जिला इकाईयों की मांग अनुसार बजट आवंटित किया जाता है ।

4b(xii)

अनुदान कार्यक्रमों का क्रियान्वयन – निरंक

4b(xiii)

छूट, अनुज्ञापन अथवा अधिकार पत्र उपभोगियों की विवरण का – निरंक

4b(xiv)

इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में परिवर्तित विभागीय जानकारी मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही जारी है

4b(xv) सूचना के माँगकर्ता को उपलब्ध भौतिक सुविधाएँ कार्यवाही जारी है

4b(xvi) जन सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1- जिला सूचना अधिकारी - | जिला सेनानी होमगार्ड
(अधिनियम की धारा-5 के अनुसार) |
| 2- सहायक लोक सूचना अधिकारी- | जिले का वरिष्ठतम कंपनी कमाण्डर
(अधिनियम की धारा-5 के अनुसार) |
| 3- अपीलीय अधिकार- | संभागीय सेनानी होमगार्ड
(अधिनियम की धारा-19 के अनुसार) |

4b(xvii) अन्य प्रावधानित सूचनाएँ -निरंक

Filename: rti - vidisha
Directory: C:\Users\don\Desktop
Template: C:\Users\don\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: Aman
Keywords:
Comments:
Creation Date: 12/02/2016 5:28:00 PM
Change Number: 48
Last Saved On: 13/02/2016 12:49:00 PM
Last Saved By: homeguard
Total Editing Time: 108 Minutes
Last Printed On: 13/02/2016 12:52:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 4
Number of Words: 826 (approx.)
Number of Characters: 4,713 (approx.)